महत्वपूर्ण

संख्या-3/2016/146/35-1-2016-एक्स-02/पी0पी0डी0/2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष, उ0प्र0शासन
2- मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।

दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग **लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2016**

विषय- प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं जनपदों/मण्डलीय स्तर पर संचालित प्रोजेक्ट/योजनाओं को बेहतर क्रियान्वित करने तथा समीक्षा व अनुश्रवण के लिये विकसित ''उ0प्र0- ई समीक्षा'' सॉफ्टवेयर के संबंध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश सरकार ई-गवर्नेन्स के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली/पेपरलेस होकर, कार्यो को निपुणता व दक्षता के साथ तीव्रगति से अपने कार्यो को संपादित कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट/योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु एवं जनपद/विभाग की समस्याओं का समयबद्ध तीव्र गति से निस्तारण के लिये वेब आधारित ''उ0प्र0- ई समीक्षा'' शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनपद एवं विभाग परस्पर ऑनलाइन अपने विचाराधीन/अनिर्णित विषयों के समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर सकते हैं, जिसका सम्पूर्ण विवरण https://esamikshagov.in/up पर उपलब्ध होगा।

इस वेबपोर्टल के लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी नामित हैं। डा0 आनन्द मिश्र, निदेशक, नियोजन विभाग, (कक्ष सं0-501, योजना भवन, लखनऊ मो0 9452734134 एवं ई-मेल dirppd@nic.in) को इस परियोजना हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वह जिलों/विभाग एवं एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित कर परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगें।

उक्त के क्रम में ''उ0प्र0- ई समीक्षा'' के माध्यम से निम्न बिन्दुओं का अनुपालन कराना अपेक्षित है-

1- प्रत्येक जनपद अपने जनपद से 4 प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर रेखांकित करते हुए विभिन्न विभागों को आनलाइन भेजेगें जिसका निराकरण संबंधित विभाग एक सप्ताह के अन्दर करेगें। इसी प्रकार विभाग जनपद को अपने से संबंधित लम्बित प्रकरणों के विषय में पोर्टल पर विवरण अंकित करेंगे जिसका जनपद समुचित निस्तारण कर आख्या पोर्टल पर उपलब्ध करायेगें।

2- मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेगें कि कोई भी प्रोजेक्ट/परियोजना किसी भी स्तर से निश्चित समयावधि के बाद लम्बित न रहे। यदि कोई प्रकरण लम्बित रहता है तो उसकी सूचना नोडल अधिकारी, नियोजन विभाग (डा0 आनन्द मिश्र) को प्रेषित करेगें। प्रमुख सचिव, नियोजन प्रत्येक माह उपरोक्त के विषयमें मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को अवगत करायेगें, जिसको मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मासिक अनुश्रवण किया जायेगा।

जनपद स्तर के अधिकारी एन0आई0सी0 विभाग के डी0आई0ओ0 से वांछित तकनीकी सहयोग प्राप्त करेंगें तथा राज्य स्तर पर विभाग अपने-अपने विभाग के एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं एन0आई0सी0, लखनऊ के राज्य एकक श्री अंशू रोहतगी (तकनीकी निदेशक) के ई-मेल anshurohtagi@nic.in या सीनियर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिस्टम एनालिस्ट (साइन्टिस्ट-सी) श्री दीपांकर श्रीवास्तव (मो0-9450354049) के ई-मेल deeparkar.srivastava@nicin पर सम्पर्क करेंगें।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या:3/2016/146(1)/35-1-2015- तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, नियोजन विभाग।
3- प्रमुख स्टाफ आफीसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0 शासन।
7- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग।
9- राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 राज्य एकक, को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से प्रत्येक जनपद के डी0आई0ओ0 को जिले स्तर पर साफटवेयर के सफल संचालन हेतु वांछित सहयोग प्रदान करने के लिये।
10- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
12- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान/अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद/अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
13- श्री अंशू रोहतगी (तकनीकी निदेशक)/सीनियर सिस्टम एनालिस्ट (साइन्टिस्ट-सी) श्री दीपांकर श्रीवास्तव, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
14- काल सेन्टर/तकनीकी प्रकोष्ठ, मुख्य सचिव कार्यालय, एनेक्सी भवन, लखनऊ।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।